छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आरक्षित रखा गया : 10–08–2021

सुनाया गया : 25–10–2021

सी आर एम पी क्रमांक 2619/2018

मोहम्मद अख्तर मंसूरी पिता शेख अमानुउल्लाह मंसूरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 07 बनिया टोला, पोस्ट पुलिस स्टेशन और तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

......याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना– खरसिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़
3. जरी नाज अंसारी पुत्री जावेद अख्तर अंसारी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सूर्या कॉलोनी, हमाल पारा खरसिया, पोस्ट पुलिस स्टेशन और तहसील खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, वर्तमान में निवासी मकान नंबर 53 डॉक्टर कॉलोनी, किरोड़ीमाल नगर, पुलिस स्टेशन कोतरा रोड़, तहसील रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला : रायगढ़ छत्तीसगढ़

.... उत्तरवादी

सी आर एम पी क्रमांक 2626/2018

1. मोहम्मद सफदर मंसूरी पिता शेख अमानुउल्लाह, उम्र लगभग 38 वर्ष (जेठ) निवासी संजीवनी नगर, गढ़ा, पोस्ट और तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, जिला : जबलपुर, मध्य प्रदेश
2. शबना परवीन पत्नि मोहम्मद सफदर मंसूरी, उम्र लगभग 36 वर्ष (जेठानी), निवासी संजीवनी नगर, गढ़ा पोस्ट और तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश, जिला : जबलपुर, मध्य प्रदेश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

........याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव गृह मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, राजस्व एवं सिविल जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना खरसिया जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़...........अभियोजन जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़
3. जरी नाज अंसारी पुत्री जावेद अख्तर अंसारी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सूर्या कॉलोनी, हमाल पारा खरसिया, पी.एस. और तहसील खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, वर्तमान में निवासी मकान नंबर 53 डॉक्टर कॉलोनी, किरोडीमाल नगर, पी.एस. कोतरा रोड, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़

........उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी आर एम पी. क्रमांक 2639/2018

1. शेख अमानुउल्लाह मंसूरी पिता स्व. मोहम्मद मुस्तफा, उम्र लगभग 66 वर्ष, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश, जिला : अनूपपुर मध्य प्रदेश
2. फरीदा बेगम पत्नि शेख अमानुउल्लाह मंसूरी, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 07 बनिया टोला, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश, जिला : अनूपपुर मध्य प्रदेश

.......याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना खरसिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़
3. जरी नाज अंसारी पुत्री जावेद अख्तर अंसारी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सूर्या कॉलोनी, हमाल पारा खरसिया, पोस्ट पुलिस स्टेशन और तहसील खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, वर्तमान में निवासी किरोडीमाल नगर, पुलिस स्टेशन कोतरा रोड, तहसील रायगढ़, छत्तीसगढ़ जिला : रायगढ़ छत्तीसगढ़

.......उत्तरवादी

याचिकाकर्ता के लिए	: श्री सरफराज खान, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/राज्य के लिए	: श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप महाधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक 03 के लिए	: श्री फैसल अख्तर, अधिवक्ता ।

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास</u>

<u>सीएवी आदेश</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. उपरोक्त तीनों याचिकाओं में कानून का एक सामान प्रश्न शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ तुलनात्मक रूप से सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है ।

2. याचिकाकर्ताओं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की है, जिसमें पुलिस स्टेशन खरसिया, जिला रायगढ़ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए, 406 और 34 के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 62/2018 के संबंध में एफ.आई.आर. और उनके विरूद्ध शुरू की गई, अपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है ।

3. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी सीआएमपी क्रमांक 2619/2018 में उत्तरवादी क्रमांक 3 शिकायतकर्ता/पत्नि–जरी के पति है–नाज असांरी, सीआएमपी 2626/2018 में याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3 के जेठ और जेठानी हैं और सी आर एम पी 2639/2018 में याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3 के ससुर और

सास है । उत्तरवादी क्रमांक 3 का विवाह याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी के साथ 06.11.2016 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के साथ दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीडन करना शुरू कर दिया । 03.07.2017 को उत्तवादी क्रमांक 3 के पति ने उत्तरवादी क्रमांक 3 को तीन बार तलाक कहा और उत्तरवादी क्रमांक 3 और उसके पति के बीच विवाह अब मान्य नहीं है । याचिकाकर्ता और उनके रिश्तेदारों के व्यवहार और आचरण से व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 3 (शिकायतकर्ता पत्नि) ने पुलिस स्टेशन–खरसिया, जिला रायगढ़ में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस स्टेशन खरसिया ने आई.पी.सी. की धारा 498–ए, 406 और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 62/2019 दर्ज किया । एफ.आई.आर. की विषय–वस्तु इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> निकाह के पहले कार दिये जाने अन्यथा शादी नहीं करने की धमकी देकर मानसिक प्रताडि़त करने से मेरे द्वारा कार क्रमांक सी जी 13 वी 8705 पंजीयन दिनांक 03.11.2016 फायनेंस उपरांत अनावेदकगणों की मांग पूरा कर कार मुहैया गई है, कार के ऋण किश्तों की अदायगी भी मेरे तरफ से मेरे पिता, भाई बहनों के द्वारा अपने अपने कमाई के पैसों को जोडकर करते रहे हैं, पर अब आर्थिक तंगी होने के कारण कार लोन के किश्त की रकम भी जमा करने में मैं और मेरे परिवार असक्षम होते जा रहे हैं, मेरे नाम की यह कार का आज तक अनावेदगणों द्वारा अपने बेजा कब्जा में रखा गया है । सगाई, निकाह और निकाह के दीगर सगुन लोग व्यवहार में सभी जरूरी घरेलू सामान और उपहार

मेरे मायका परिवार वाले के द्वारा पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि नजदिकी रिश्तदारों के भेंट स्वरूप दिया गया है, जो आज तक मेरे पति, सास, ससुर के कब्जे में हैं ततबंध में फिलहाल उपलब्ध रसीदों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर रही हूं । निकाह के बाद ससुराल में रहते हुए मेहमानों के मौजुदगी के कारण मुझसे दिखावा व्यवहार ठीक ठीक रखा गया परन्तु मेहमानों के जाने के बाद मेरे साथ रूप रंग पर की मैं काली कलुटी हूं काम वाली बाई जैसी हूं, बजारू हूं, कहकर ताना मारने लगे, तु हुण्डई कार को फायनेंस कराई स्वीफ्ट कार को क्यों नहीं कराई और मेरे सारे गहनों व मंहगे कपड़ो को सास जेठानी ने जबरन लेकर रख लिया मुझे घर पर सजधजकर नहीं रहना और सजधजकर कर कहीं आना जाना नहीं है कोरे कागजो पर भी मेरे पति और ससुर ने यह कहकर मुझसे दस्तखत कराकर रख लिया गया है कि निकाह पंजीयन कराना है हम पत्नि बहु को घर से बाहर नहीं ले जाते है, कागज पर जो लिखना होगा हम लिख लेंगे मेरे पति ने जबरन मेरे अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रति तथा साफ्टकापी जिसमें मेरा डिजिटल हस्ताक्षर, अंगुठे का डिजिटल निशान भी है दूरूपयोग या मुझे फंसाने की नियत से ससुराल वालों ने अपने पास जबरन रख लिया गया है । इस तरह से मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना प्रारम्भ कर दिया गया था सगाई के दिन से लेकर निकाह तक और ससुराल और समय समय में मायका खरसिया (रायगढ़) में आके रहने के दौरान एक दहेज के रूप में सोने चांदी के मंहगे और वजनी जेवराज सुखसुविधा के सामन की मांग किये जाने लगे और मांग पूरा नहं करने के कारण मुझे सास ससुर, जेठ जेठानी व पति द्वारा मारा पिटा गया तथा बिना 02.07.2017 को जबरन मायका खरसिया भेज दिया गया खरसिया में घर पहुंचने के तुरंत बाद मेरे पति ने मेरे सेलफोन के वाट्सअप के जरिये तलाक देता हूं का मेसेज भेजकर मुझे गंभीर मानसिक प्रताडना दिये जिसकी वजह से आज तक मेरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य खराब होता गया खरसिया रायगढ़ अस्पताल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में मैं अपना ईलाज भी करा रही हूं इस तरह मेरे से निकाह कर मेरा शारीरिक व आर्थिक शोषण कर मुझे छोड दिया गया ।

4. एफ.आई.आर. में आगे कहा गया है कि शादी के बाद उत्तरवादी क्रमांक 3 को न केवल उसके पति/याचिककार्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी द्वारा प्रताडित किया गया, बल्कि अन्य याचिकाकर्ताओं और उसके पति द्वारा 02.07.2021 को जबरदस्ती उसके मायके घर भेज दिया और उसके बाद उसने सेलफोन पर तलाक का संदेश भेजा, जिससे उसे मानसिक पीड़ा हुई, इसलिए उसने 25.09.2021 को शिकायत दर्ज कराई, उसकी शिकायत के आधार पर वर्तमान एफ.आई.आई. दर्ज की गई है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. की विषय–वस्तु गलत है और उन्हे झूठा फंसाया गया है, हालांकि याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी और उत्तरवादी क्रमांक 3 के बीच विवाह 03.07.2017 को पहले ही भंग हो चुका है । याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 का अपने ससुराल (कोतमा) में दहेज की मांग के संबंध में आरोप निराधार है क्योंकि शादी के सम्पन्न होने के तुरंत बाद, उत्तरवादी क्रमांक 3 भारत में प्रचलित प्रथा के अनुसार गौना के रूप में अपने मायके घर वापस चली गई और उसकी शादी के दो दिन बाद यह संभव नहीं है कि नवविवाहिता वधू को उसके पति और उसके ससुराल वालो ने प्रताडित किया हो । याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 3 को उसके वैवाहिक कर्तव्यो का निर्वहन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हालांकि उसने सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, यहां तक कि याचिकाकर्ता

मोहम्मद अख्तर मंसूरी ने उत्तरवादी क्रमांक 03 को पैसे भेजे । याचिकाकर्ताओ और उनके परिवार के सदस्यो को परेशान करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 ने शिकायत दर्ज कराई । एफ.आई.आर. दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग मात्र है । जांच के बाद भी पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 498–ए, 406 और 34 के तहत अपराध भी दर्ज किया, उसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे आपराधिक मामला क्रमांक 398/2019 (छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध मोहम्मद अख्तर मंसूरी और अन्य) के रूप में दर्ज किया गया । पुलिस ने 23.10.2019 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि "अगली सुनवाई की तारीख तक निचली न्यायालय (जे.एम.एफ.सी. खरसिया) प्रकरण क्रमांक 359/2019 में फैसला नहीं सुनाएगी । उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता मोहम्म्द अख्तर मंसूरी ने उत्तरवादी क्रमांक 03 को तलाक दे दिया है, इसलिए एफआईआर दर्ज करना अवैध है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मोहम्मद मिंया और अन्य विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2019) 13 एस.सी.सी 398** के मामले में दिए फैंसले के विरूद्ध है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 5 में जो निर्धारित किया है, वह सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

> "5. हम अपीलार्थी आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दास द्वारा की गई तर्को में काफी तथ्य पाते है । यहां तक कि 18.08.2015 की एफआईआर में भी शिकायतकर्ता–पत्नि ने कहा है कि उसका तलाक लगभग 04 साल पहले हो गया था । शिकायतकर्ता–पत्नि की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क स्वीकार करना संभव नहीं है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने शरिया कानून की अज्ञानता में बयान दिया था । वह एक प्रधानाध्यापिका हैं और उन्हें उसकी योग्यता बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए । उनके स्वयं के इस कथन के आधार पर कि उसकी चार साल पहले तलाक हो चुका था, हमारा विचार है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत अभियोजन टिकने योग्य नहीं है ।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शकसन बेल्थिसर विरूद्ध केरल राज्य (2009) 14 एस सी सी 466** में पारित निर्णय का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि

"20. इस बात पर पूरी तरह से सहमति थी कि उपरोक्त एफआईआर उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा आईपीसी की धारा 498–ए के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनाने के आश्य से दायर की गई थी । पुलिस द्वारा पेश आरोप पत्र आईपीसी की धारा 498–ए के तहत था । जैसे कि दर्ज एफआईआर में और आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 498–ए का मामला बनता है या नहीं, यह एक मुद्दा है, जिसका जवाब इस अपील में देना आवश्यक है । आईपीसी की धारा 498–ए इस प्रकार है:

"498 ए पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करता है ।

(ए) जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "क्रूरता" का अर्थ है–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

21. धारा में प्रयुक्त उपरोक्त भाषा के आलोक में, यह प्रावधान केवल ऐसे मामले में लागू होगा, जहां किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उक्त महिला के साथ क्रूरता करता है । जब किसी विशेष मामले में उपरोक्त धारा के तत्व मौजूद होते है, तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध का अरोप लगाया गया है, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और यदि दोषी पाये जाने पर आरोपी को तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी भागी होगा । उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण है, जो धारा 498–ए आईपीसी के तहत "क्रूरता" को परिभाषित करता है । "क्रूरता" अभिव्यक्ति के अर्थ को समझने के लिए जैसा कि धारा 468–ए के तहत परिकल्पित है, पति या महिला के पति के रिश्तेदारों की ओर से ऐसा आचरण होना चाहिए जो इस तरह की प्रकृति का हो कि महिला आत्महत्या कर ले या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को चोट या खतरा हो (चाहे वह मानसिक या शारीरिक) हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 498–ए के तहत अपराध को रद्द कर दिया है, लेकिन धारा 323 और 353 के तहत अपराध अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ जारी रहे, इसलिए, उक्त निर्णयों के आधार पर, वह यह प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने से पहले ही उत्तरवादी क्रमांक 03 को तलाक दे दिया है, इसलिए प्रथम सूचना पत्र दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दूरूपयोग मात्र है और आईपीसी की धारा 498–ए के तहत कथित अपराध का होना उचित नहीं है और उसे रद्द किये जाने योग्य है ।

8. राज्य ने भी जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच की गई है और उसके बाद 17.02.2019 को जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि अपराध दर्ज होने के बाद जांच अभी भी जारी है, इसलिए इस

समय, वर्तमान याचिकाऐ सुनवाई योग्य नहीं हैं । राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 03 के अनुसरण में पुलिस स्टेशन खरसिया, जिला रायगढ़ में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर, उक्त एफआईआर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है । जांच के बाद आईपीसी की धारा 406, 34 के तहत भी अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 498–ए, 406, 34 के तहत कथित अपराध के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान, शिकायतकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 और अन्य गवाहो के बयान सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज किये गये थे । यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि सीआर.पी.सी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग बहुत ही कम और सावधानी से तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घोर अन्याय होगा या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा, यदि ऐसी आकस्मिकता उपलब्ध नहीं है, तो यह न्यायालय सीआर.पी.सी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है । यह न्यायालय याचिका की सुनवाई करते समय उस साक्ष्य और सामाग्री की सराहना नहीं कर सकता है जो जांच के दौरान एकत्र की गई है, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है । **आंध्र प्रदेश राज्य विरूद्ध गोलकोंडा लिंगा स्वामी, (2004) 6 एससीसी 522** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 5 में निर्धारित किया है कि जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "5. यह तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करता है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात् (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करना, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकना, और (iii) अन्यथा न्याय के उद्दश्यों को सुरक्षित करना । कोई भी कठोर नियम बनाना न तो संभव है और न ही वांछिनी है, जो अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करेगा । प्रक्रिया से निपटने वाला कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उतपन्न हो सकते है न्यायालयों के पास, इसलिए, काननू के अभिव्यक्त प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां होती है जो काननू द्वारा उन पर लगाये गये कार्यों कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं । यही वह सिद्धांत है जो धारा में अभिव्यक्ति पाता है, जो केवल उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है । सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हो या फौजदारी, किसी भी अभिव्यक्त प्रावधान के अभाव में, अपने संविधान में अंतर्निहित रूप से, ऐसी सभी शक्तियां रखते है जो सही कार्य करने और न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में किसी अन्याय को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि "जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ देता है, तो वह उसे वह सब कुछ भी देता है जिसके बिना वह अस्तित्व में नहीं रह सकता । इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता । इस धारा के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार हालांकि व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग संयम, सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग स्वयं धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों के अनुसार न्यायोचित हो । इसका प्रयोग न्याय के लिए, वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना है जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालय मौजूद है । न्यायालय का अधिकार न्याय के विकास के लिए मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरूपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय हो, तो न्यायालय के पास ऐसे दुरूपयोग को रोकने की शक्ति है । किसी भी ऐसी कार्यवाही की अनुमति देना जो अन्याय में परिणत हो और न्याय को बढावा देने से रोके, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा । शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगा यदि वह पाता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शुरूआत या जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है या इन कार्यवाही को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्दश्यों को पूरा करेगा । जब शिकायत में कोई अपराध नहीं बताया गया है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है । जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह देखने के लिए सामग्री में जाना उचित है कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनता है, भले ही आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए ।"

09. शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 03 ने अपने जवाब में याचिका में लगाये गये आरोपों में इंकार किया है और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने शादी के अगले ही दिन से उसे दहेज की अनुचित मांग को पूरा नहीं करने के लिए गाली देना शुरू कर दिया । उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है और उन्होंने उसकी शादी के समय एक कार दी है । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से ही पर्याप्त सामग्री रिकार्ड पर है, इसलिए वर्तमान याचिकायें सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है । यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 03 शरीयत कानून द्वारा शासित है और शरीयत कानून के अनुसार पति को तलाक देते समय पत्नि को "मेहर" राशि देनी होती है जो अभी तक उसे नहीं दी गई है । इसलिए तलाक याचिकाकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से ही पर्याप्त सामग्री रिकार्ड पर है, इसलिए वर्तमान याचिकांए सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज किऐ जाने योग्य हैं । यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 3 शरीयत कानून द्वारा शासित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और शरीयत कानून के अनुसार पति को तलाक देते समय पत्नी को ''मेहर'' राशि देनी होती है जो अभी तक उसे नहीं दी गई है, इसलिए, व्हाटसएप में सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया तलाक उचित नहीं है और मुस्लिम कानून के अनुसार कानूनी रुप से वैध तलाक नहीं है। याचिकाकर्ता ने शरीयत कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए व्हाटसएप में दिया गया तलाक कानूनी नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भी एक शिकायत दर्ज कराई है जो विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष मामला क्रमांक 90/2017 (जरीनाज अंसारी बनाम मो. अख्तर मंसूरी और अन्य) के रुप में दर्ज है और विद्वान परिवार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2018 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 को रखरखाव के लिए 5000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया है और प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि शरीयत कानून के अनुसार तलाक नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही तलाक दे दिया है, पोषणीय नहीं है और वर्तमान याचिकांए इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपरोक्त तथ्यो के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा यह है कि (i) क्या याचिकाकर्ता मो. अख्तर मंसूरी द्वारा दिया गया तलाक शरीयत कानून के अनुसार है और यदि इसे शरीयत कानून के अनुसार नहीं दिया गया है, तो इसका क्या प्रभाव है ? (ii) क्या **शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य संबद्ध**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, 2017(9) SCC 1 में रिपोर्ट किया गया, पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है या नहीं ?

11. तीन तलाक का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य 2017 (9) SCC 1 संबंद्ध मामलों** में प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अंततः इस मुद्दे का निष्कर्ष निकाला और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र और शरीयत कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की है और माना है कि तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य है, इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का निर्देश दिया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विषय के मूल मुद्दे पर विचार करते हुए शायरा बानो (उपरोक्त) के मामले में माना है–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जारी 15.04.2016 के परिपत्र की जांच की है और पैरा 391, 392 और 395 में माना है जो इस प्रकार हैः–

> "391 हमारे द्वारा दर्ज विचारों की समीक्षा से यह पता चलता है कि ' तलाक–ए–बिद्दत' की प्रथा को कई समतावादी राज्यों में, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और यहां तक कि धार्मिक इस्लामी राज्यों द्वारा भी कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है । यहां तक कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना के मुख्य प्रतियोगी एआईएमपीएलबी ने भी, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई स्थिति को स्वीकार करते हुए, यह स्थिति मान लिया कि यह न्यायिक विवेक के दायरे में नहीं था, विश्वास और धर्म के मामले को रद्द करना । हमने एआईएमपीएलबी द्वारा मानी गई स्थिति को स्वीकार कर लिया है । यह दावा संविधान के अनुच्छेद 25 (2) और 44 के संयुक्त पठन पर आधारित था, संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के साथ

पढ़ा गया । इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, और यह हमारा निश्चित निष्कर्ष है कि स्थिति को केवल कानून द्वारा ही बचाया जा सकता है । हम समझते है कि–विधायिका के लिए, किसी मुद्दे पर कानून बनाना उचित नहीं है । हालांकि, वर्तमान मामले में प्रस्तुत स्थिति थोड़ी अलग प्रतीत होती है । यहां, प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा व्यक्त विचार विरोधाभासी नहीं है । भारत संघ हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं के कारण के समर्थन में उपस्थित हुआ है । भारत संघ द्वारा अपनाया गया रूख हमारे लिए यह मानने के लिए पर्याप्त है कि भारत संघ याचिकाकर्ताओ के कारण का समर्थन करता है । हमारे हाथों से क्या चाहता है, किस पार्टी ने इसका विरोध किया ।

"1. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल अपनी वेबसाइट के माध्यम से मीडिया प्लेटफार्म और इस तरह उन व्यक्तियों को सलाह देते हैं जो निकाह (विवाह) करते है और उनसे निम्नलिखित करने का अनुरोध करते हैः–

(अ) 'निकाह' (विवाह) करते समय 'निकाह' करने वाला व्यक्ति दूल्हा/पुरूष को सलाह देगा कि मतभेदों के मामले में दूल्हा/पुरूष एक बैठक तीन तलाक नहीं देगा क्योंकि वह शरीयत में एक अवांछनीय प्रथा है ।

(ब) 'निकाह' (विवाह) करते समय, 'निकाह' करने वाला व्यक्ति दूल्हा/पुरूष और दुल्हन/महिला दोनों को सलाह देगा 'निकाहनामा' में एक शर्त शामिल करें ताकि उसके पति द्वारा एक बैठक में तीन तलाक देने का सहारा न लिया जाए ।

3. मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि, इसके अलावा, बोर्ड रिकॉर्ड पर रख रहा है कि बोर्ड की कार्यकारी समिति ने इससे पहले भी कुछ प्रस्ताव पारित किए थे । 15 और 16 अप्रैल, 2017 को हुई बैठक में मुस्लिम समुदाय में विवाह विच्छेद (तलाक) के संबंध में । इसके द्वारा तलाक के मामलों में पालन किए जाने वाले आचार संहिता/दिशानिर्देशों को बताने का संकल्प लिया गया, विशेष रूप से एक बैठक में तीन तलाक देने से बचने पर जोर दिया गया । 16 अप्रैल, 2017 की तारीख वाले संकल्प की एक प्रति, विवाह विच्छेद (तलाक) से संबंधित संकल्प संख्या 2, 3, 4 और 5 प्रासंगिक अनुवाद के साथ, इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए संलग्न है अनुलग्नक ए–1 (कोली) [पृष्ठ संख्या 4 से 12] के रूप में चिन्हित है । उपरोक्त हलफनामें का अवलोकन करने से पता चलता है कि एआईएमपीएलबी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक सलाह जारी करने का बीडा उठाया है, ताकि जो लोग वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करते हैं, उन्हें 'निकाह–नामा में यह सहमति देने की सलाह दी जा सके कि उनकी शादी 'तलाक–ए बिद्दत' द्वारा भंग नहीं की जाएगी । आईएमपीएलबी ने हलफनामा दायर करके दिशानिर्देश देने की शपथ ली है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिनका पालन तलाक के मामलों में किया जाएगा, जिसमें और दिया गया है कि तलाक–ए–बिद्दत से बचा जाए । यह मानना गलत नहीं होगा कि एआईएमपीएलबी भी याचिकाकर्ता के मामले को शांत करने के लिए सहमत है।

392. ऊपर व्यक्त की गई स्थिति को देखते हुए, हम संतुष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जो ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जहाँ इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित निर्देश जारी करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए । इसलिए हम भारत सरकार को 'तलाक–ए–बिद्दत' के संदर्भ में विशेष रूप से उचित कानून पर विचार करने का निर्देश देते हैं । हम उम्मीद और अपेक्षा है कि विचारित कानून मुस्लिम 'पर्सनल लॉ' शरीयत में हुई प्रगति को भी ध्यान में रखेगा, जैसा कि दुनिया भर में, वहां तक कि धर्मनिरपेक्ष इस्लामी राज्यों द्वारा भी कानून द्वारा सही किया गया है । जब ब्रिटिश शासकों ने भारत में मुसलमानों को कानून के माध्यम से राहत दी और जब मुस्लिम विश्व में सुधारात्मक उपाय अपनाए गये, तो हमें स्वतन्त्र भारत के पिछडने का कोई कारण नही दिखता । अन्य धार्मिक संप्रदायों के लिए उपाय अपनाए गए हैं (भारत में पर्सनल लॉ में IX–सुधार देखें), यहां तक कि भारत में भी, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं । इसलिए हम विधायिका से अनुरोध करते है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर गहन विचार करे । हम विभिन्न राजनीतिक दलो से भी आग्रह करते है कि वे अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ को इस मुद्दे से अलग रखे ।

395. दर्ज किए गए विभिन्न मतों को देखते हुए 3:2 के बहुमत से 'तलाक–ए–बिद्दत ट्रिपल तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया गया है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने एक हलफनामे की प्रति भी प्रस्तुत किये है, जिसे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2/2015 में प्रस्तुत किया गया था, जिनका संदर्भ में रिट याचिका (सिविल) संख्या 118/2016 (शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य) तथा अन्य संबंधित मामलों से है। यह मामला मुस्लिम महिलओं की समानता की खोज बनाम जमीयत उलेमा–हिंद और अन्य से भी जुडा हुआ है, जिसमें अखिल

भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र संलग्न किया गया है । इसमें वैध तलाक की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है ताकि इस तर्क को साबित किया जा सके कि यदि शरीयत कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाक नहीं दिया गया है, तो यह अमान्य है और उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 3 अब भी याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी की पत्नि मानी जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **जमरूद बेगम बनाम के. मोहम्मद हनीफ, 2002 एस सी सी ऑनलाईन, 1063** में रिपोर्ट किए गए मामले में पारित निर्णय पर विचार करते हुए, यद देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शमीम आरा बनाम यू.पी. राज्य 2002 (7) एस सी सी 518** में रिपोर्ट किए गए मामले में लिए गए विचार पर विचार किया गया है और **जमरूद बेगम (उपरोक्त)** में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय उन पहले उच्च न्यायालयों मे से एक है जिन्होंने **शमीम आरा (उपरोक्त)** में अपनाए गए विचार की पुष्टि की है । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शमीम आरा (उपरोक्त) और उसमें उल्लेखित अन्य सभी निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, पैरा 13 और 17 में माना जो इस प्रकार हैः

> "13. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा गया है कि तलाक मौखिक या लिखित में हो सकता है और यह उचित कारण से होना चाहिए । इससे पहले पति और पत्नी के बीच सुलह का प्रयास दो मध्यस्थों द्वारा किया जाना चाहिए, एक पत्नी की परिवार से चुना गया और दूसरा पति द्वारा । यदि

उनके प्रयास विफल हो जाते हैं तो तलाक की घोषणा द्वारा प्रभावी किया जा सकता है । उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुल्ला और मोहम्मडन कानून के सिद्धोंतों से लिया है ।
17. मेरा विचार है कि कथित तलाक वैध तलाक नहीं है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है । यदि कोई वैध तलाक नहीं है तो पत्नी का संबंध अपने पति के साथ अभी भी जारी है और उसे तलाकशुदा पत्नी के रूप में नहीं माना जा सकता है । उसे केवल एक परित्यक्त पत्नी के रूप में माना जा सकता है ।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने माना है कि तीन तलाक अमान्य और गैरकानूनी है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि तलाक/तीन तलाक के बाद उत्तरवादी क्रमांक 3 सीआर पी सी की धारा 498–ए के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है, स्वीकार्य नहीं है । माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सीआरएम (एम) संस्था 308 ऑफ 2019 (शौकत हुसैन बनाम नाजिया जिलानी) में, शायरा बानो (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर विचार करते हुए माना है कि निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और इसलिए वर्ष 2014 में दिए गए तलाक को कानूनी रूप से तलाक नहीं कहा जा सकता है । माननीय न्यायालय ने 16.08.2021 को दिये गये अपने निर्णय में पैरा 2 और 3 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

"2. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में पेश की गई संक्षिप्त शिकायत यह है कि इस न्यायालय ने सी आर एम (एम) 254/2019 को अपने निर्णय दिनांक 07.11.2019 के माध्यम से मुख्य रूप से शयरा बानो (सुप्रा) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए निपटाया था । यह तर्क दिया गया है कि उक्त निर्णय वर्ष 2017 में सुनाया गया था, जबकि वर्तमान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले में, तलाक यानी तीन तलाक वर्ष 2014 में सुनाया गया था । यह भी तर्क दिया गया है कि शायरा बानो (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को वर्ष 2014 में सुनाए गए तीन तलाक की वैधता को घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता ।

3. उठाया गया तर्क सही नहीं है क्योंकि शायरा बानो (सुप्रा) के मामले में दिया गया निर्णय, यदि विशेष रूप से पूर्वव्यापी रूप से संचालित करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो इसे पूर्वव्यापी माना जाएगा और लंबित मामलों में भी लागू होगा । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो (सुप्रा) के मामले में 'तीन तलाक' को कानून की नजर में शून्य और अमान्य घोषित करते हुए, विशेष रूप से निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से संचालित करने के लिए नहीं कहा और यही स्थिति है । कानून शायरा बानो के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून तीन तलाक पर समान रूप से लागू होगा, जो उक्त निर्णय पारित होने से पहले सुनाया गया था । इस कारण से, सी.आर.एम (एम) संख्या 254/2019 में पारित दिनांक 07.11.2019 के निर्णय को वापस लेने का कोई मामला नहीं बनता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 22–08–2017 को तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है, इस का मतलब है कि तीन तलाक शुरू से ही अस्तित्व में नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस विषय पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम.ए.मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2003) 7 एस.सी.सी. 517** में रिपोर्ट किए गए मामले में पैरा 8 में कहा है, जो इस प्रकार है:

"8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को हर समय कानून माना जाता है । सामान्यतः, इस न्यायालय द्वारा कानून के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला निर्णय सभी मामलों पर उनकी लंबित अवस्था के बावजूद लागू होता है क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, वह वास्तव में शुरू से ही कानून है ।"

16. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **के.माधवा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2014) 6 एस.सी.सी 537** में रिपोर्ट किए गए मामले में पैरा 10 में कहा है, जो इस प्रकार है:

"10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तओं को विस्तार से सुना है । पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिकी न्यायशास्त्र में हुई है । इसे पहली बार हमारे देश में सी. गोलक नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1643 में लागू किया गया था, इस न्यायालय ने सिाद्धांत को लागू करने में काफी सावधानी बरतते हुए, इस तथ्य से अवगत था कि सिद्धांत की उत्पत्ति दूसरे देश में हुई थी और इसे विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया गया था । न्यायालय ने भारतीय परिस्थितियों में सिद्धांत को लागू करने में सावधानी बरतने की बात कही है, जैसा कि गोलक नाथ के मामले (सुप्रा) में दिखने वाले निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है, जहां इस न्यायालय ने उन मापदंडों को निर्धारित किया जिनके भीतर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । इस न्यायालय ने कहाः "चूंकि इस न्यायालय को पहली बार विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे देश में विकसित सिद्धांत को लागू करने के लिए कहा गया है, इसलिए इस शुरूआत में सावधानी से आगे बढ़ेंगे । हम निम्नलिखित प्रस्तावनाएँ प्रस्तुत करेंगेः (1) पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत को केवल हमारे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में ही लागू किया जा सकता है; (2) इसे केवल देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है क्योंकि इसके पास भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करने का संवैधानिक क्षेत्राधिकार है; (3) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, जो उसके पिछले निर्णयो को अधिक्रमित करता है, उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि वह उसे किस सीमा तक पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगा, ताकि वह न्याय और उचित समाधान के अनुरूप ढाला जा सके।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी.ए.लिंगा रेड्डी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य,** में रिपोर्ट किए गए मामले में (2015) 4 एस.सी.सी. 515 पैरा 34 में कहा है, जो इस प्रकार हैः

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "34. अशरफुल्ला (सुप्रा) में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने उलट दिया है । निर्णय पूर्वव्यापी संचालन का है, क्योंकि यह नहीं कहा गया है कि यह भविष्य में संचालित होगा; विशेषकर, निर्णय को उलटने के मामले में । इस न्यायालय ने पी.वी.जॉर्ज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2007 (3) एस.सी.सी. 557) में माना कि किसी न्यायालय द्वारा घोषित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा यदि इसे विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा जाता है । गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643) का उल्लेख करते हुए यह भी देखा गया है कि पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और वह भी संवैधानिक मामलों में । यह देखा गया कि "19. यह सच हो सकता है कि जब निर्णय के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, तो कानून में बदलाव नागरिकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है । पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत को हालांकि ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन तब इसे स्पष्ट रूप से बताना होगा । शक्ति का प्रयोग यथासंभव स्पष्ट शब्दों में किया जाना चाहिए । इस न्यायालय के निर्णय इसके स्पष्ट प्रमाण है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि उत्तरवादी क्रमांक 3 एक तलाकशुदा पत्नी है, स्वीकार्य नहीं है । स्वीकार नहीं किया जाता है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। इस आधार पर आई.पी.सी. की धारा 498–ए के तहत दायर शिकायत अस्वीकार्य है और इसे खारीज किया जाता है । इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि याचिकाकर्ता और उसके अन्य परिवार के सदस्यों को अपराध में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई सामग्री नहीं है, इस न्यायालय द्वारा इस समय नहीं जांचा जा सकता है और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उत्तरवादी क्रमांक 3 अपनी शादी के दो दिनों के भीतर स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड कर चली गई थी, इस न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत याचिका

की सुनवाई करते समय नहीं जांचा जा सकता है । सी.आर.पी.सी. के तहत याचिकाकर्ताओं का आगे तर्क है कि उन्हें आई.पी.सी. की धारा 498–ए, 406 और 34 के तहत अपराध करने के लिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि धारा 498–ए, 406 और 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और इसके बीच कोई क्रूरता नहीं है । यह याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वह स्थापित करे कि उसके साथ क्रूरता की गई है लेकिन ये तर्क भी साक्ष्य के मामले के हैं, इसलिए इनकी जांच इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है :

"9.1 प्रारम्भ में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई.पी.सी. की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया है । यह ध्यान देने योग्य है कि जब उच्च न्यायालय ने सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया, उस समय तक जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने और घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र करने और स्वतंत्र गवाहों के बयान और यहां तक कि अभियुक्त व्यक्तियों के बयान लेने के बाद, आई.पी.सी. की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के तहत अपराधों के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर कर दिया था और यहां तक कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान लिया था । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से, यह नहीं दिखता है कि उच्च न्यायालय ने जांच–पूछताछ के दौरान एकत्र की गई सामग्री और यहां तक कि दर्ज बयानों पर भी विचार किया । यदि सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत याचिका एफ.आई.आर. के स्तर

पर होगी, तो उस मामले में केवल एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करना आवश्यक होता है और यह विचार करना आवश्यक होता है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं । हालांकि, इसके बाद जब बयान दर्ज किये जाते हैं, साक्ष्य एकत्र किए जाते है और जांच/पूछताछ के समापन के बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो मामला अलग आधार पर होता है और न्यायालय को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक होता है । यहां तक कि इस स्तर पर भी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में देखा और माना गया है, उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण–दोष में जाने और/या मामले के गुण–दोष में इस प्रकार नहीं जाना चाहिए जैसे कि उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो । जैसे कि इस न्यायालय ने **दिनेशभाई चंदूभाई पटेल** (सुप्रा) के मामले में माना है कि यह जांचने के लिए कि एफआईआर की तथ्यात्मक सामग्री किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है या नहीं, उच्च न्यायालय जांच एजेंसी की तरह कार्य नहीं कर सकता है और न ही अपीलीय न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । यह भी देखा और माना गया है कि प्रश्न को एफ आई आर की सामग्री और प्रथम दृष्टया सामग्री, यदि कोई हो, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, को ध्यान में रखते हुए जांचना आवश्यक है । ऐसे स्तर पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है और न ही एफआईआर और उस पर निर्भर सामग्री से स्वयं अनुमान निकाल सकता है। यह भी उल्लेखनिय है कि जब जिस सामग्री पर भरोसा किया जा रहा है, वह विवादित हो, तो यह स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि ऐसी स्थिति में, जांच के इस स्तर में जांच प्राधिकरण का कार्य जांच करना होता है, और बाद में जब आरोप पत्र ऐसी सामग्री के साथ दायर किया जाता है, तब न्यायालय यह जांच कर सकता है कि उस सामग्री पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है ।

9.2 **ध्रुवराम मुरलीधर सोनार** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले दिये गये निर्णयो पर विचार करने के बाद **भजन लाल** (सुप्रा) में यह निर्णय लिया गया कि सी आर पी सी की धारा 482 के तहत अपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति एक अपवाद है, न कि एक सामान्य नियम है । यह भी देखा गया है कि सी आर पी सी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार, हालांकि व्यापक है, का प्रयोग संयम से, सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ, केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग विशेष रूप से धारा में ही निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो । यह भी देखा गया है कि सी आर पी सी की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को निरस्त करने के स्तर पर साक्ष्य की सराहना स्वीकार्य नही है । इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वरा **अरविंद खन्ना** (सुप्रा), **मनगीपेट** (सुप्रा) और **एक्स वाय जेड** (सुप्रा) के मामले में व्यक्त किया गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

9.3 इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानून को इस मामले के तथ्यो पर लागू करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उच्च न्यायालय ने सी आर पी सी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है ।

10. उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना और विचार करने में विफल रहा है कि बहुत गंभीर विचारणीय मुद्दे/आरोप हैं जिन पर मुकदमें के समय विचार किया जाना आवश्यक है । उच्च न्यायालय ने जांच के मूल पहलू की अनदेखी कि और इस तथ्य की सराहना करने में असफल रहा कि मामला गंभीर विचारणीय मुद्दो पर आधारित था । इसके अलावा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को ठीक से समझने और स्वीकार करने में भी असफल रहा, यानी ममता गुप्ता अभियुक्त क्रमांक 2 और मुन्नी देवी का एक संयुक्त नोटरीकृत हलफनामा जिसके तहत अभियुक्त क्रमांक 2–सुश्री ममता गुप्ता के अनुसार, 25 लाख रूपये का भुगतान किया गया था और कब्जा उसे ही सौंप दिया गया था, यह गंभीर रूप से विवादित है । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 27.10.2010 की पंजीकृत विक्रय समझौता में, विक्रय राशि 25 लाख रूपये बताई गई है और मुन्नी देवी को 25 लाख रूपये के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कब्जा सौपने का कोई उल्लेख है । हालांकि, उसी तारीख यानी 27.10.2010 के संयुक्त नोटरीकृत हलफनामें में, विक्रय राशि 35 लाख रूपये बताई गई है, जिसमें से 25 लाख रूपये का भुगतान किया जाना बताया गया है और अभियुक्त क्रमांक 2 को कब्जा हस्तांतरण का उल्लेख है । 25 लाख रूपये का भुगतान किया गया है या नहीं, यह अभियुक्तों को मुकदमे के दौरान साबित करना होगा, क्योंकि अभियुक्त उक्त दस्तावेज और 27.10.2010 के संयुक्त नोटरीकृत हलफनामे में उल्लेखित 25 लाख रूपये के भुगतान पर भरोसा कर रहे है। यह भी विचार करना आवश्यक है कि पहले विक्रय समझौता जिसमें 25 लाख रूपये विक्रय राशि बताई गई है और चेक द्वारा 10 लाख रूपये के भुगतान का उल्लेख है । यह एक पंजीकृत दस्तावेज है । उपरोक्त सभी विचारणीय मुद्दे/आरोप है जिन पर मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है । उच्च न्यायालय जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को विचार करने में विफल रहा है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **झारखंड राज्य बनाम प्रीति गुप्ता 2010 (7) एस सी सी 667** पर भी भरोसा किया है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि एफ आई आर के केवल अवलोकन से, प्रथम दृष्टया, अपराध करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, हालांकि प्रामाणिकता और सच्चाई की जांच याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी और शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 के साक्ष्य दर्ज करने के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष की जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव से, यह स्पष्ट है कि तीन तालाक कानून की उचित प्रक्रिया के बाद नहीं दिया गया है जैसा कि शायरा बानो (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इंगित किया गया है और बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो (सुप्रा) के मामले में इसे अवैध घोषित कर दिया और तदनुसार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता मोहम्मद अख्तर मंसूरी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3/शिकायतकर्ता को दिया गया तलाक अवैध है क्योंकि अपराध करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है, इसलिए वर्तमान याचिकाएं खारिज होने योग्य है।

22. इस न्यायालय ने 30-09-2019 को अंतरिम राहत प्रदान की थी । इसे रद्द किया जाता है । यह निर्देशित किया जाता है कि यदि सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो निचली न्यायालय कानून के अनुसार मामले का फैसला कर सकती है । यह स्पष्ट

किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कुछ भी व्यक्त नही किया है कि अपराध बनता है या नहीं । वर्तमान सीआर एम. पी. का फैसला करने के लिए केवल आरोपों पर विचार किया गया है और इसका मामले के गुण–दोष पर कोई असर नहीं होगा । निचली न्यायालय को सुनवाई के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर मामले की जांच करनी है ।

23. उपरोक्त चर्चा और टिप्पणियों के आधार पर, वर्तमान याचिकाएं निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
बिलासपुर